न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–50/2020 दायर दिनांकः 09.07.2020

GCMS NO:- 2020/00126

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

सुरजा बाई पत्नि महावीर निवासी भण्डेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–वादिनी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बांसी तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. नन्दलाल पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बांसी तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
3. मथुरालाल पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बांसी तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4. गोकुल पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बांसी तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
5. सत्यनारायण पुत्र चौथमल जाति ब्राह्मण निवासी बांसी तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
6. मुकेश पुत्र चौथमल जाति ब्राह्मण निवासी बांसी तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
7. मैंना पुत्र चौथमल जाति ब्राह्मण निवासी बांसी तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
8. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा बांसी तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
9. राजस्थान सरकार द्वारा जिलाधीश बून्दी।
10. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

निर्णय दिनांक 22.10.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि वादिनी तथा प्रतिवादी गण 1 लगायत 7 के शामलाती खातेदारी की ग्राम बांसी पटवार हल्का बांसी तहसील नैंनवां के खाता संख्या नया 487 पुराना 467 की कृषि भूमि के खसरा सं. 2331 रकबा 01–00 बीघा, खसरा सं. 2333 रकबा 01–15 बीघा, खसरा सं. 2334 रकबा 01–05 बीघा, खसरा सं. 2338 रकबा 01–14 बीघा, खसरा सं. 2341 रकबा 00–12 बीघा, खसरा सं. 2674/3574 रकबा 02–18 बीघा कुल किता 6 रकबा 09–04 बीघा कृषि भूमि संयुक्त आराजी स्थित है। यह कि वादिनी ने उक्त कृषि आराजी में से मथुरालाल का चूकता हिस्सा 1/14 हिस्सा जो उसको पहले प्राप्त हुई थी, तथा गोकुल का हिस्सा 4/7 में से 1/48 हिस्सा यानि 1/84 हिस्सा कृषि भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.02.2016 से खरीद किया है, तथा पुरूषोत्तम आत्मज बंशीलाल का सम्पूर्ण हिस्सा 1/12 एवं गोकुल आत्मज बंशीलाल का हिस्सा 4/7 का 1/48 यानि 1/84 हिस्सा इस प्रकार संयुक्त हिस्सा 1/12 हिस्सा कृषि आराजी को जर्ये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 16.04.2018 से खरीद किया है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाकर वादीनी के खाते दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है, तथा बाद खरीद से ही वादिनी उक्त खरीदशुदा आराजी पर बहैसियत खातेदार मालिक काबिज चली आ रही है।

यह कि बाद खरीद वादिनी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 की आपसी सहमति से पूर्व की भांति बंटवारा किया हुआ है, तथा अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। वादिनी ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 से दिनांक 25.06.2020 को उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा करवाये जाने बाबत कहा तो

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:55:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

वादीगण 1 लगायत 7 ने उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा करवाने से इन्कार कर दिया। यह वाद कारण है। अतः वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विभाजन वादिनी व प्रतिवादीगण के कब्जानुसार व हिस्सानुसार करवाये और अपने-अपने खाता, जमाबंदी व खसरा गिरदावरी अलग-अलग करवाये। वादिनी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी नकल और शपथ-पत्र, बयान आदि पेश किये।

वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 22.04.2021 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार नैनवां से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार वादिनी सुरजा बाई की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गऐ-

1. (वादीया) सुरजा बाई पत्नी महावीर गुर्जर

खसरा नं0	रकबा
2338	1.14
2341/1	0.02

कुल किता 2 कुल रकबा 1.16

2. प्रतिवादी शेष यथावत

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र , प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। बहस बंटवारा रिपोर्ट सुनी गई। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट मरां में आज पेश हुई। तहसीलदार नैनवां से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। ग्राम बांसी पटवार हल्का बांसी तहसील नैंनवां के खाता संख्या नया 487 पुराना 467 की कृषि भूमि के खसरा सं. 2331 रकबा 01-00 बीघा, खसरा सं. 2333 रकबा 01-15 बीघा, खसरा सं. 2334 रकबा 01-05 बीघा, खसरा सं. 2338 रकबा 01-14 बीघा, खसरा सं. 2341 रकबा 00-12 बीघा, खसरा सं. 2674/3574 रकबा 02-18 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 09-04 बीघा कृषि भूमि का विभाजन निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

1. (वादीया) सुरजा बाई पत्नी महावीर गुर्जर

खसरा नं0	रकबा
2338	1.14
2341/1	0.02

कुल किता 2 कुल रकबा 1.16

2. प्रतिवादी शेष यथावत

बंटवारा प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में भिन्न-भिन्न रंगों से प्रदर्शित हिस्सानुसार मौके पर बंटवारा किया जाकर सम्बन्धित पक्षकार को कब्जा संभलाये जाने हेतु तहसीलदार नैनवां को अन्तिम डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के विभाजन से हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही किसी से करवायें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:55:43 IST
Reason: SelfAttested